न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०1, कन्नौज।
(J.O.CODE No. UP 6308)
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-312/2026
(CNR No.UPKJ010006312026)

1- **रमन पुत्र सतीश चन्द्र**,
निवासी मकरन्दापुर, थाना इन्दरगढ़, जिला कन्नौज।

..........आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उ0प्र0 राज्य ....अभियोजन पक्ष,

मु०अं०सं०-26/2025
धारा 318(4),111(2),61(2) बी०एन०एस०
व धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
थाना साइबर क्राइम, जनपद कन्नौज।

अग्रिम जमानत आदेश

1. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **रमन पुत्र सतीश चन्द्र** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० के तहत अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, प्रस्तुत प्रकरण में उसको गलत व झूंठा फंसाया गया है, उसने कोई अपराध नही किया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 08.12.2025 समय आठ बजे शाम की बतायी गयी है, जब कि घटना की रिपोर्ट दिनांक 08.12.2025 को ही समय 23.13 बजे उप निरीक्षक श्री शशीकान्त कनौजिया द्वारा पंजीकृत करायी गयी है, जिसमें प्रार्थी सहित छः व्यक्तियों को नामजद किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन राजनीतिक दबाव में नामजद किया गया है, जब कि जिस व्यक्ति के साथ घटना कारित होना बताया गया है, ने प्रार्थी की कोई भी शिनाख्त नही की है और न ही थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी है और न ही प्रार्थी के पास से घटना से सम्बन्धित कोई वस्तु मिली है और न ही किसी अन्य मुल्जिमान से कोई लेना देना था। प्रार्थी का जो कैनरा बैंक का खाता सं० 110264885234 बताया गया, वह प्रार्थी का पुराना खाता है, जिसे मेहनत मजदूरी की बचत का पैसा जमा करने के लिए खुलवाया था। उक्त शाखा में प्रार्थी के अन्य कोई भाई बहनों का भी खाता है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा किसी से कोई फ्राड कर धनराशि को नही डलवाया गया है और न ही धनराशि को निकाला गया है। प्रार्थी खाता खुलवाने के लिए बैंक में गया था, जहां प्रार्थी के गांव के

पास का आलोक निवासी सपहा, थाना इन्दरगढ़, जिला कन्नौज ने फार्म भरते समय बताया कि एक गारण्टर का मोबाइल नं० लगता है, उसमें मैं अपना नम्बर दे देता हूं और आलोक ने अपना मोबाइल नम्बर लगा दिया, उसी से उसने खाता से क्या किया, प्रार्थी को जानकारी नही है। प्रार्थी ने किसी प्रकार से कोई फ्राड कर कोई रूपये नही निकाले हैं। प्रार्थी के साथ बनाए गए सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है, जिनमें हिमांशु आदि थे और घर से गिरफ्तार करके लाए गए थे। प्रार्थी सीधा सादा गरीब व्यक्ति है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नही है। उक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

3. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-08.12.2025 को उच्चाधिकारियों द्वारा प्रतिबिम्ब पोर्टल पर दर्शाये गये साइबर अपराध में संलिप्त मोबाइल नम्बरों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रतिबिम्ब पोर्टल पर सर्च किया तो संदिग्ध मोबाइल नम्बर-7398188929 की लोकेशन जनपद कन्नौज में प्रदर्शित हो रही है तथा उक्त मोबाइल नम्बर को JMIS पोर्टल पर सर्च टैब में सर्च किया, उक्त नम्बर पर सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों 03 शिकायतें प्रदर्शित हो रही हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

01. गुजरात राज्य से NCRP Ack No-21106250013843 में कुल 2,80,000/- की धनराशि का फ्राड किया गया जिसमें ऐक्सिस बैंक खाता सं0-925010007090401 व इण्ड्सइंड खाता सो0-100245103006,

02. हिमाचल प्रदेश से NCRP Ack No-31210250012799 में कुल 2,70,000/- की धनराशि का फ्राड किया गया, जिसमें कैनरा बैंक खाता सं०-110265563282 व खाता सं0-110264885234 प्रदर्शित हुयी,

03. तेलागंना राज्य से NCRP Ack No-23711250067765 में कुल 30,000/- रु० की धनराशि का फ्राड किया गया, जिसमें कैनरा बैंक खाता सं0-110265464328 प्रदर्शित हुई, खाता सं०-110265563282 फो JMIS पोर्टल पर सर्च किया गया तो अन्य 03 शिकायत प्रदर्शित हुई, जिसका विवरण निम्नवत है-

01. बिहार राज्य से Ack No-20510250046256 में कुल 1,54,000/- रूपये जिसमें कैनरा बैंक के खाता सं0-110261311899 व बाता सं०-110264885234 नये खाते प्रकाश में आये।

02. बिहार राज्य से Ack No-20510250045555 में कुल 1,20,000/- रू खाता सं0-110284885234 व खाता सं0-110265563282 में आये, 03. तमिलनाडू राज्य से Ack No-32910250064943 में कुल 1,37,000/- रू० खाता सं0-110265563282 व खाता सं0-110264885234. बाता सं0-110265464328 को JMIS पोर्टल पर सर्च किया गया तो अन्य 02. शिकायत प्रदर्शित हुयी, जिसका विवरण निन्नवत है-

जनपद उन्नाव उत्तर प्रदेश से Ack No-23111250190218 व 23111250191501 में कुल 20,000/-रू० की शिकायत दर्ज है। उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में उपनिरीक्षक शशिकान्त कनौजिया मय हमराही का0 755 ज्ञानेन्द्र सिंह व का0 1030 सहदेव सिंह व आरक्षी चालक राजेन्द्र मय वाहन संख्या UP 70 AG 3220 बोलेरो के थाना हाजा के रपट नं0 05 समय 10.32 बजे रवाना होकर साइबर जागरुकता एवं साइबर अपराध रोकथाम व तलाश संदिग्ध साइबर अपराधी व उपरोक्त शिकायतों में प्रदर्शित बैंक खातों के विवरण के बारे में सम्बन्धित बैंक से मौखिक रूप से जानकारी की गयी तो उपरोक्त खातों के धारकों के नाम पते निम्नवत हैं-कैनरा बैंक के खाता सं0-110261311899, खाता धारक हिमांशू पुत्र सुबोध कुमार, निवासी मकरंदापुर, अगौस, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज, खाता सं0-110264885234, खाता धारक रमन पुत्र सतीश चन्द्र, निवासी ग्राम- मकरन्दापुर, अगौस, थाना इन्दरगढ़ जनपद कन्नौज, खाता सं0-110265464328, खाता धारक प्रदीप कुमार पुत्र अजय कुमार, निवासी पूराराय रामपुर, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज एवं खाता सं0-110265563282, खाता धारक मान सिंह पुत्र लालाराम निवासी धिपिया बरियामाऊ पूराराय, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज पाये गये हैं, उपरोक्त व्यक्तियों की तलाश करता हुआ ईशन नदी पुल तिर्वा क्षेत्र में पहुंचे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि ये उपरोक्त व्यक्ति अपने कुछ दोस्तों के साथ ईशन नदी पुल से 200 मीटर कन्नौज की तरफ न्यू आशा प्रिजर्वेशन कोल्ड स्टोरेज वाली रोड पर खड़े हैं, यदि जल्दी करें तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान की ओर चल दिये, जैसे ही हम लोग मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो मुखबिर ने दूर से इशारा करके खड़े तीन व्यक्तियों की बताया कि साहब यही लडके हैं, जिनकी आपको तलाश है और मुखबिर बताकर चला गया। हम पुलिस वालों ने खड़े व्यक्तियों के पास पहुँच कर नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम **सनोज यादव पुत्र विजय सिंह**, उम्र करीब 30 वर्ष निवासी बहादुरपुर, थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज बताया, इसकी जामा तलाशी से दो अदद मोबाइल फोन बरामद हुये इनको चैक किया तो एक फोन ONE PLUS NORD 2T 5G, IMEI 8608590 88853777/69 व रंग

सिलवर, इसमें 7991315620, 8800265162 की सिम पड़ी है तथा मेल आईडी yadavsanoj552@gmail.com, Svijay60319@gmail.com व Myadav33977@gmall.com है तथा इस मोबाइल में दो व्हाट्सअप इंस्टाल है जिसमें मो० नं0 7991315620 पर नार्मल व्हाट्सअप व मो0नं0 8800265162 पर बिजनेस व्हाट्सअप रजिस्टर्ड है तथा सनोज यादव ने पूछने पर बताया कि मैंने व मेरे साथियों ने एक वैबसाइट www.deluxeinternationalmanpower.com से बनवाई है, जिसमें हम सभी विदेश मे जाँब दिलाने हेतु foreign viza बनाने के लिए व्हाट्सएप/सामान्य कॉल के द्वारा बात करते हैं तथा व्यक्तियों से वीजा, आफर लेटर आदि के लिए रुपयों की मांग फरते थे तथा उनको भिन्न भिन्न खातों में डलवाते हैं। सनोज यादव के व्हाट्सअप को चैक किया गया तो चैटिंग मे पाया कि सनोज यादव ने अभिषेक नोयडा मो0नं0 9266052827, अब्बास खान मो०नं० 7398188929 तथा Rkb मो0नं0 7388834648 पर रुपयों के लेन देन के सम्बन्ध में चैट की गयी है। उक्त चैटिंग के सम्बन्ध में सनोज यादव से पूछा तो बताया कि मैं व मेरे साथियों द्वारा धोखा धड़ी कर षडयन्त्र करके अज्ञात व्यक्तियों से वीजा, आफर लेटर आदि के लिए रुपये लिये गये हैं तथा अन्य मैसेज का विवरण है एवं दूसरा फोन IQ00 Model नं० 12219 IMEI 866041070787814/06 व रंग हल्का हरा है, इसमें सिम नं०7275182637 पड़ी है व व्हाट्सअप बिजनेस चलता है तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम **मान सिंह पुत्र ल पुत्र लालाराम** उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम दिपिया मौजा बरियामऊ, थाना इन्दरगढ़ ,जनपद कन्नौज इसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल फोन रियलमी माडल MX3998, IMEI 863352078663433/43, रंग स्लेटी इसमें मो0न0 9236253826-की सिम पड़ी है। मोबाइल के कवर के पीछे एक एअरटेल 4जी, सिम मिली है। इस सिम पर 991541809, 8565572815U H-1 नम्बर लिखा है तथा पहनी पैंट की जेब से स्वयं एक अदद आधार कार्ड नं0 545260519609, पैन कार्ड JEBPM3669B, तीन, अदद पास बुक, इंडियन बैंक बाता नं0 8126347329, पंजाब नेशनल बैंक खाता से० 30001700082702, डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक खाता सं0 00171100 2103280 बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम **हिमान्शु पुत्र सुबोध कुमार** उम्र 22 वर्ष निवासी, मकरन्दापुर, अगौस, थाना इन्दरगढ, जनपद कन्नौज बताया, इसकी जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल फोन मोटोरोला मॉडल G85 5G, IMEI 358261423 111075/83 व रंग लाल इसमें मो0न0 9621199085,8090816716 की सिम पड़ी है, इस मो०नं० 9621199085 पर व्हाट्सप चल रहा है तथा सनोज यादव से बरामद मोबाइल ONE PLUS NORD 2T 50 में व्हाट्सअप ग्रुप DELUXE INTERNATIONAL MANPOWER DELHI 60 @1000 के ग्रुप एडमिन अब्बास

खान मोबाइल नं० 7304030465, अमित कुमार मोबाइल नं0 9211532576 तथा मोबाइल नं0 7237871820 है। उपरोक्त नम्बरों के बारे में पूछा तो बताया कि मोबाइल नं० 7308188920, 7394039455 अब्बास खान के नाम से मैं ही चला रहा हूं तथा मेरा दूसरा साथी अमित उर्फ अभिषेक है। आज मैं व मेरे उपरोक्त साथी रुपयों के लेन देन करने के सम्बन्ध में इकट्ठा हुये थे तथा मानसिंह व हिमान्शु से पूछताछ की तो बताया कि हम दोनों ने अपने बैंक अकांउट कैनरा बैंक तिर्वा में खुलवाये हैं तथा हमारे खाते में फ्राड के रुपये आते हैं जिसका हमें कमीशन मिलता है। आज हम अपना कमीशन आलोक निवासी ग्राम सपहा, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज व सनोज से लेने आये थे। गिरफ्तार व्यक्ति सनोज यादव से बरामद मो0नं0 8800265162 वही था, जो कि प्रतिबिम्ब पोर्टल से प्राप्त मो०न०-7398188929 से WhatsApp संचालित था, जिसकी जानकारी हेतु WhatsApp रिकार्ड पूर्व में मंगाया गया था, जिसमें WhatsApp रिकार्ड से प्राप्त IP 2401:4900:4563:e51f: da94:0066:5709:8178 दिनांक-26.10.2025 की IPDR मगायी गई, जिसमें मो0न0-8800265162 व IMEI-8608590688537640 प्राप्त हुआ एवं खाता धारक हिमांशु व मान सिंह उपरोक्त व्यक्ति वही हैं, जिनकी हमें तलाश थी। उपरोक्त व्यक्तियों ने संगठित होकर बेवसाइट बनाकर वीजा दिलाने के बहाने अंजान व्यक्तियों को व्हाट्सप व अन्य माध्यम से षडयन्त्र फर धोखाधड़ी व ठगी कर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से साइबर अपराध कारित करते हैं। अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रकरण मु०अ०सं० 26/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 111(2), 61(2) बी०एन०एस० तथा 66D आई०टी०एक्ट थाना इन्दरगढ़, जिला कन्नौज के प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त रमन के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि अभियुक्त अन्य सह अभियुक्तगण के साथ संगठित होकर बेवसाइट बनाकर वीजा दिलाने के बहाने अंजान व्यक्तियों को व्हाट्सप व अन्य माध्यम से षडयन्त्र कर धोखाधड़ी व ठगी कर आर्थिक लाभ के उद्देश्य से साइबर अपराध कारित किया गया है तथा जॉब दिलाने हेतु foreign viza बनाने के लिए व्हाट्सएप/सामान्य कॉल के द्वारा बात करते हैं तथा व्यक्तियों से वीजा, आफर लेटर आदि के लिए रुपयों की

मांग करते थे तथा उनको भिन्न भिन्न खातों में डलवाते हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। संगठित अपराध अन्तर्गत धारा 11(2) बी०एन०एस० में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अग्रिम जमानत पर अभियुक्त को अवमुक्त किए जाने से अभियुक्त के पलायन की पूर्ण सम्भावना है। उक्त परिस्थिति में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने से विवेचना की कार्यवाही बाधित होने की सम्भावना है। तदनुसार उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नही है।

आदेश

अभियुक्त/आवेदक **रमन पुत्र सतीश चन्द्र** की ओर से प्रकरण मु०अं०सं०-26/2025 धारा 318(4),111(2),61(2) बी०एन०एस० व धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम थाना साइबर क्राइम, जनपद कन्नौज में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 17.04.2026

(रवीन्द्र कुमार द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०1,कन्नौज।